भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3457
जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

शहरी अवसंरचना विकास निधि

3457. डॉ. नामदेव किरसान:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2024-25 के दौरान देश भर में शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि राज्य-वार कितनी है;

(ख) इसके अंतर्गत अब तक स्वीकृत और पूर्ण की गई शहरी अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) धनराशि वितरण और परियोजना कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं और सरकार उनका समाधान किस प्रकार करने की योजना बना रही है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) का निर्माण वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित ₹10,000 करोड़ के प्रारंभिक आधारभूत निधि के साथ किया गया था, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अतिरिक्त ₹10,000 करोड़ आवंटित किए गए थे। हालाँकि, ग्रामीण ऋण के लिए निधियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यूआईडीएफ के आवंटन राशि में से 7,000 करोड़ रू. की राशि अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित्त निधि (एसटीसीआरसी-आरएफ) को पुनः आवंटित कर दिए गए हैं। जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सूचित किया गया है, पुनः आवंटित राशि को वित्त वर्ष 2025-26 में नए आवंटन के माध्यम से यूआईडीएफ को पुनः दे दिया जाएगा। दिनांक 31.7.2025 तक, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से ₹13,138.17 करोड़ की परियोजनाएँ प्राप्त हुई हैं, जिनके लिए ₹10,746.60 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान यूआईडीएफ के तहत प्राप्त परियोजनाओं और स्वीकृत ऋणों का राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31.7.2025 की स्थिति के अनुसार 816 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से यूआईडीएफ के अन्तर्गत 9 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

(ग): यूआईडीएफ की समीक्षा और हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, अभिज्ञात की गई और समाधान की गई कुछ चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:

(i) परियोजना प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक सुचारू और कुशल बनाने के लिए यूआईडीएफ ऋण के साथ 50 करोड़ रुपये तक की राज्य प्रायोजित परियोजनाओं और यूआईडीएफ ऋण के साथ 20 करोड़ रुपये तक की शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) प्रायोजित परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के बदले में वैकल्पिक दस्तावेज जैसे निविदा दस्तावेज, विस्तृत कार्य आदेश आदि प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है।

ii परिचालन दक्षता बढ़ाने और यूआईडीएफ के अन्तर्गत प्रस्तावों के प्रसंस्करण में तेजी लाने के लिए परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससी) को युक्तिसंगत बनाया गया है।

iii निधि के दायरे को व्यापक बनाने के उद्देश्य से, यूआईडीएफ के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं का विस्तार किया गया ताकि आवास, विद्युत/दूरसंचार और शहरी परिवहन को छोड़कर सभी शहरी अवसंरचना गतिविधियों को इसमें शामिल किया जा सके।

इसके अलावा, यूआईडीएफ के अन्तर्गत संवितरण, मोबिलाइज़ेशन अग्रिम को छोड़कर, प्रतिपूर्ति के आधार पर किया जाता है। यूआईडीएफ के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं में आमतौर पर लंबी कार्यान्वयन अवधि होती है, जिसके कारण परियोजना के पूरा होने से जुड़े चरणबद्ध संवितरण की आवश्यकता होती है।

*****

भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

(राशि करोड़ रू. में)

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	प्राप्त परियोजनाओं की संख्या (वित्त वर्ष 2024-25)	स्वीकृत ऋण की राशि (वित्त वर्ष 2024-25)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
2	आंध्र प्रदेश	613.29	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0.95	0.95
4	असम	263.48	262.2
5	बिहार	0	0
6	चंडीगढ़	0	0
7	छत्तीसगढ	330.75	384.72
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0
9	गोवा	0	0
10	गुजरात	420.26	314.45
11	हरियाणा	399.13	301.67
12	हिमाचल प्रदेश	0	12.27
13	जम्मू और कश्मीर	8.27	8.27
14	झारखंड	5	5
15	कर्नाटक	972.27	706.73
16	केरल	135.78	131.9
17	मध्य प्रदेश	412.68	412.5
18	महाराष्ट्र	1,164.56	1,117.33
19	मणिपुर	0	0
20	मेघालय	0	0
21	मिजोरम	8.51	0
22	नागालैंड	0	0
23	ओडिशा	0	0
24	पुदुच्चेरी	0	4.82
25	पंजाब	0	0
26	राजस्थान	1,126.57	822.18
27	सिक्किम	0	0
28	तमिलनाडु	560.33	526.33
29	तेलंगाना	1,715.56	1,635.1
30	त्रिपुरा	99.04	54.78
31	उत्तर प्रदेश	0	0
32	उत्तराखंड	7.32	7.32
33	पश्चिम बंगाल	0	0
	कुल	**8,243.75**	**6,708.52**

(स्रोत:एनएचबी)